



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 27 मई, 2021  
ज्येष्ठ 6, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार  
आबकारी अनुभाग-2

संख्या 955 ई-2/तेरह-2021-55-2013  
लखनऊ, 27 मई, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-34

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और सरकारी अधिसूचना संख्या 530 ई-2/तेरह-2018-55-2013 दिनांक 21 मार्च, 2018 का अधिक्रमण करके राज्यपाल आदेश देती हैं कि वर्ष 2020-21 या उसके भाग के लिए, देशी शराब पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिफल फीस, आधारभूत लाइसेंस फीस के अतिरिक्त अधिरोपित की जायेगी।

अनुसूची

देशी शराब पर प्रतिफल फीस की दरें

क्रम संख्या	देशी शराब की श्रेणी एवं तीव्रता	प्रतिफल फीस की दर प्रति बल्क लीटर
1	42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	रु0 268.69
2	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	रु0 226.00
3	25 प्रतिशत वी/वी (सादा, मसाला)	रु0 156.94

आज्ञा से,  
संजय आर० भूसरेड्डी,  
अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 955 E-2/XIII-2021-55-2013, dated May 27, 2021 for general information:

No. 955 E-2/XIII-2021-55-2013

*Dated Lucknow, May 27, 2021*

IN exercise of the powers under section 30 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 ( U.P. Act. no. 1 of 1904), and in supersession of Government Notification No. 530 E-2/XIII-2018-55- 2013 dated March 21, 2018, the Governor is pleased to order that for year 2020-2021 or part thereof the consideration fee at the rates specified in the Schedule below, shall be imposed on country liquor in addition to basic licence fee.

SCHEDULE

Rates of consideration fee on Country liquor

Sl. No.	Category and strength of Country liquor	Rates of Consideration fee per Bulk Litre
1	42.8 % V/V (Spiced )	Rs. 268.69
2	36 % V/V (Spiced )	Rs. 226.00
3	25 % V/V (Plain, Spiced )	Rs. 156.94

By order,

SANJAY R. BHOOSREDDY,

*Additional Chief Secretary Excise Deptt.,*

*U.P. Govt. .*

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 48 राजपत्र-2021-(90)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी-ए०पी० 1 सा० आबकारी-2021-(91)-100 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।